Proceedings of Environmental Clearance project proposal received from Sh. G.P. Acharya, VPO Sagoor, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra no. 2181, 3586/2182 & 3585/2182 measuring area 05-97-84 Hect. (Govt. land, river bed) falling in Mauza & Mohal Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. G.P. Acharya, VPO Sagoor, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra no. 2181, 3586/2182 & 3585/2182 measuring area 05-97-84 Hect. (Govt. land, river bed) falling in Mauza & Mohal Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P. was conducted on date: 16.05.2025 at the private land of Sh. Surinder Singh S/o Sh. Shakti Singh located near mining lease area at Khasra No. 3638/1991 at Mohal Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P. by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Ms. Shilpi Beakta, H.A.S., Addl. Distirct Magistrate, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from different departments and Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairperson, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairperson was requested to permit to start the public hearing.

The Chairperson permitted to start the process of public hearing and the project proponent was requested to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairperson also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh. Mahender Jaswal, Village Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairperson and the officers and officials of various departments and the local residents. He said that we used this river water for daily use purpose and for animals. But since the mining is carried out, the water level of the handpumps and kulhas has gone down. Due to this, the river water will not be available for future generations. Therefore, we request you to consider all the issues raised by us during this public hearing. Due to lack of water, the land is becoming barren and due to mining activities in the area, the roads and drains have got damaged. The intake level of the Kuhals has become above the level of khad, due to which water does not flows through the Kuhals. He requested that their views should be considered. He requested that our issues should also be taken into consideration before approval of this proposed mining project. Kuhals were constructed earlier after spending lot of money, but due to mining activities, they have been damaged. The water level of the khad has also gone down due to mining activities due to which water does not come in the irrigation Kuhals.	The project consultant informed that the proposed mining lease holder is not being carrying out mining here and mining being carried out here is illegal mining. If this mining lease is approved, then illegal mining will also stop. Regarding damage to the roads due to this proposed mining lease, you may discuss with the mining lease holder that mining should not cause any damage to this area. The project consultant also said that the mining will be carried out scientifically and will be carried out within the prescribed limit i.e. upto one meter and if mining is not being carried out as per rules, then you can file a complaint to the mining department.
		Chairperson informed that instructions will be given to construct check dams for the problem of water so that there is no shortage of water in the Kuhals and a proposal for reconstruction of the Kuhals will be prepared and sent to the Additional Deputy Commissioner for the renovation of Kuhals. For shortage of water in hand pumps, the reasons will be investigated by taking the list of hand pumps from the Gram Panchayat.	

2	Sh. Joginder Singh, Village Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the chairperson and the officers and employees of various departments and the local residents. He said that there is a water scheme about 750 meters below the Paprola railway bridge for Majhairna and water level of this scheme has gone down due to which the government has suffered a loss of crores of rupees. Mining activities are also being carried out near crematorium by JCB. Where should we complaint about this? Our land was eroded earlier and a lot of land was washed away. Whenever a mining lease is allotted, mining activities are carried out beyond the norms. When they are asked about this, they fight with us. Therefore, mining should not be allowed here. Earlier our Kuhals were constructed with the help of villagers and lot of water used to flow in the Kuhals. But due to mining, the water level has gone down and about 20 kanal of land has become barren. Mining was carried out earlier also but it was less, now mining is being carried out by JCB. The Kuhal water was used to run the mill (Gharaat). He questioned which department uses the khad material for construction work. So I request you to please consider our issues and send to the government and mining should not be carried out or it should be carried out in a low level so that our village and future generations could be saved.	Chairperson assured that the objections raised against the mining in the said area will be sent to the government. Apart from this, the matter will be raised with the Chief Engineer, Jal Shakti Vibhag for the water scheme for Majhairna, so that it can be made properly functional again. After taking a report from the mining department on illegal mining near Binwa bridge, the matter will be forwarded for taking action against the culprits. Further action will be taken by seeking information about land erosion and its causes from the Gram Panchayat. If there were already gharaats in Dhanag, then steps will be taken to rehabilitate a gharaat under the Jan Sahayog Yojana. For this, cooperation of all is required so that development work could be done.
3	Sh. Daulat Ram Kapoor, Lambardar Dhanag, Village Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	He informed that earlier the river used to flow at the distance of 60 meter from his land, but due to soil erosion 10 meter depth of land has flown with water and now the river flows at a distance of 50 meters for the public hearing site. our land is at	The project consultant informed that the mining lease is being auctioned by the mining department because of the abundance of material in this place. Due to the abundance of material, the water level rises

		the distance of 50 meters from here and earlier the distance of the land is 10 meters more from here. But due to the flow of water, our land has eroded and the flow of water has also turned towards our land. The road for the mining lease is also on our land. Our land has been damaged due to the flow of water of Binwa river during rains. Therefore, before giving the mining lease, this should be reconsidered so that we and all the villagers can get relief from it. He said that more than 100 saplings of white cedar were planted by the Forest Department 20 years ago and they have almost vanished. Villagers used to graze their cattle but now the condition of this khad has deteriorated and it has become difficult to go to the other side of the river. Chairperson asked Daulatram Kapoor, whether land erosion is taking place due to water flow or whether this happens every rainy season. Sh. Daulatram Kapoor informed that earlier the flow of the river was towards the other side but due to mining in Sagoor area, the flow has changed towards our land.	which causes erosion. If mining is carried out, the water level will go down and soil erosion will not occur. There is a provision to construct 5 to 10 check dams in this project, hence you can get in touch with the project proponent and a check dam to be constructed at the place of land erosion. The project consultant informed that since 2016 no mining lease has been granted and whatever mining has been carried out is illegal. If mining is carried out as per rules then no harm will occur and the said mining lease holder will be responsible. Chairperson gave instructions to the mining department to submit a report on the alleged illegal mining. Apart from this, Chairperson assured that the matter would be forwarded to the Soil Conservation Department to prepare the estimate for the damage due to flow of water of the khad and the same estimate will be forwarded to concerned authorities for further relief. For this, you also take up the matter with Naib Tehsildar Baijnath. Apart from this, the question raised regarding illegal mining in Sagoor area has been registered and we will recommend filing an FIR in the matter.
4	Sh. Mahender Jaswal, Village Dhanag, Tehsil Baijnath, District	He informed that earlier the water of khad was used for the cremation purpose but now the level of the river water has also gone down.	Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board informed that your suggestions

	Kangra H.P.		have been recorded and besides this, he requested the people to express their suggestions, views and complaints regarding this mining project only.
5	Sh. Rajan Kumar, Village Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairperson and the officers and officials of various departments and the local residents. He said that the mining is being carried out beneath the railway bridge, at Khasra No. 161 and 162 since 1996-97. I have about 60 kanals of land in Baijnath (Bagan area), out of which 07 kanals of land has been washed away and the reason for this is illegal mining and no department is helping in this. I have all the records of this. No action is taken by the department in this matter. If we see on the spot, how much loss has been caused, when an objection is lodged against it, they start fighting. The government auctions the mining lease (patta) but does not think about the people. And even when a complaint is made in writing, no action is taken. I informed all the concerned departments about this in writing but no action was initiated.	Chairperson informed that the issues raised by you are not related to this proposed mining project. She requested to visit the office and discuss the issues other than the proposed project. Apart from this, she also requested to give applications in writing so that action could be initiated on them.
6	Sh. Vinod Kumar S/o Late Sh. Amar Nath, R/o Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	He said that all the kuhalas are being constructed by using cement, they should be cemented as per the requirement. Due to cementing of kuhalas, natural water sources are drying up. Hence, this issue should be noted.	Chairperson informed that the issue raised by you has been recorded.
7	Sh. Dalip Jariyal R/o Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the chairperson and the officer and officials of various departments and local residents. He said that the people present here should be asked, whether this mining work should be carried out here or not. He said that the mining department has not	Chairperson asked him to submit the objections raised through the Gram Panchayat so that it can be answered with the public hearing proceedings and sent to the Government.

		initiated any work for the last 5 years. As informed, the Paprola bridge is also saved because of the railway department. Due to excessive mining, the level of the Kuhals has gone up and mining is still going on. In the last 5 years, no safety dams have been built by the mining department and no action has been taken on this.	
8	Sh. Rohit Kumar, Pradhan Gram Panchayat Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairperson and the officers and employees of various departments present and the local residents. He said that this public hearing is about the advantages and disadvantages of the proposed mining project. At present, the reason of loss is illegal mining and people are facing loss due to land erosion which is caused due to illegal mining and if this mining is carried out legally then in that situation an objection can be lodged against the said contractor in the concerned department for the loss incurred. Apart from this, the decrease in water level is also the result of illegal mining and there is a limit to mining as per the rules. It is necessary to have a check dam system to deal with the shortage of water, this will provide relief from soil erosion. Mining is also necessary because there is loss due to lack of mining. Therefore, everyone's responsibility is fixed if it is carried out as per the rules. Apart from this, mining work should also support the Panchayat so that the development work of the Panchayat can be done.	Chairperson informed that there is a district mineral fund and she requested the Pradhan Gram Panchayat Dhanag to make a proposal for the check dams and other Panchayat development works and ensure that it is to be sent so that further action can be taken on it.
9	Sh. Sagar Singh, R/o Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra H.P.	He said that there is only one road, which is used for mining purpose and is also used by everyone. But when vehicles are used for mining, the people and school children will face problems.	The project consultant informed that only small tippers would be used in it. The Chairperson informed that the problem of the road will be

			resolved by inspecting the spot or some other alternative route will be considered.

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairperson thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and videography has also been done. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Government. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Shilpi Beakta, H.A.S.,
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

श्री जी0 पी0 आचार्य, गांव एवं डा0 सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 2181, 3586/2182 एवं 3585/2182 कुल क्षेत्रफल 05–97–84 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/नदी पटटा), मोहल मौजा धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 से रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह @ 47,250 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्री जी0 पी0 आचार्य, गांव एवं डा0 सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 2181, 3586/2182 एवं 3585/2182 कुल क्षेत्रफल 05–97–84 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/नदी पटटा), मोहल मौजा धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 से रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह @ 47,250 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2025 को प्रातः 11:30 बजे श्री सुरिन्द्र सिंह, पुत्र श्री शक्ति सिंह, गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 की निजी भूमि : खनन पटटा क्षेत्र के पास स्थित खसरा न0 3638/1991 में मोहाल धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी, जिला कांगडा (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित हैः–

क. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री महेन्द्र जसवाल, गांव धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और निवेदन किया कि हम यहां पर इस खडड के पानी का उपयोग नहाने व अपने पशुओं के लिए किया जाता था। परन्तु जब से खनन का कार्य शुरु किया गया है यहां का पानी उपयोग योग्य नहीं रहा है। यहां के हैण्डपपों व कुल्हों के पानी का लेवल नीचे जा चुका है। जिससे भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ीयों को पानी नहीं मिलेगा। अतः आपसे निवेदन है कि खनन से पहले हमारी सभी बातों को ध्यान में रखा जाए।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि यहां पर पटटा धारक द्वारा कोई भी खनन नहीं किया जा रहा है और जो भी खनन हो रहा है वह अवैध खनन है। और यदि इस खनन पटटे की मंजूरी होती है तो अवैध खनन भी बंद हो जाएगा। रास्तों के नुकसान हेतू आप खनन पटटा धारक से बात कर सकते हैं कि खनन से इस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन बैज्ञानिक

		पानी के कमी के कारण जमीनें बंजर हो रही है और खनन के कारण रास्ते व कुल्हें ढह गई हैं। खनन के कारण कुल्हें खडड/दरिया से उपर हो चुकी हैं। जिससे कुल्हों में पानी नहीं आता है। उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे विचारों को ध्यान में रखा जाए और हमारी भविष्य पीढी के बारे में सोचा जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि खनन कार्य होने पर हमारी बातों को भी ध्यान में रखा जाए। इससे पहलें भी काफी खर्च करके कुल्हों का निर्माण किया गया था परन्तु खनन के कारण वह टूट चुकी है और पानी का स्तर भी नीचे जा चुका है जिससे कुल्हों में पानी नहीं आता है।	तरीके से किया जाएगा और खनन तय सीमा में किया जाएगा और एक मीटर तक खनन किया जाएगा और उससे अधिक खनन करने पर आप उसकी शिकायत खनन विभाग से कर सकते हैं।
		अध्यक्ष महादेया द्वारा बताया कि आप द्वारा बताई पानी की समस्या हेतू चैक डैम बनवाने हेतू निर्देश दिए जाएगें ताकि कुल्हों में पानी की कमी न हों और कुल्हों के पुनर्निर्माण हेतू प्रस्ताव बनाकर उसे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को प्रेषित किया जाएगा ताकि कुल्हों को जीर्णोदार किया जा सके। हैडपंपों में पानी की कमी के लिए पंचायत से हैडपंपों की सूची लेकर उसके कारणों की जांच की जाएगी।	
2.	श्री जोगिन्द्र सिंह, गांव धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि परियोजना के परामर्शदाता द्वारा दी गई जानकारी के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि पपरोला रेलवे पुल से लगभग 0.750 कि0मी0 नीचे मझैरना के लिए पानी की स्कीम है इसके पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है जिससे सरकार को करोड़ो रुपये का नुकसान हुआ है। और साथ ही शमशान घाट है। वहां पर जे0सी0बी0 द्वारा पानी में खनन किया जाता है। इसके बारे कहां शिकायत की जाए। हमारी काफी भूमि का पहले कटाव हुआ था और काफी भूमि वह गई थी। जब भी कोई खनन पटटा आंबटित होता है तो वह उस तय सीमा से अधिक खनन करते है। जब उनसे इस बारे बात की जाती है तो वह लड़ाई करते हैं। अतः खनन होना ही नहीं चाहिए। पहले हमारी कुल्हों का निर्माण गांव वालों के सहयोग से किया जाता था और उसमें काफी पानी आता था परन्तु खनन के कारण पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है और पानी की कमी के कारण लगभग 20 कनाल भूमि बंजर हो चुकी है। खनन पहले भी होता था परन्तु कम होता था, अब जे0सी0बी0 लगाकर खनन किया जा रहा है। इन कुल्हों से घराट चलते थे। उन्होंने पूछा कि खडड	अध्यक्ष महादेया द्वारा आश्वशत किया गया कि खनन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में खनन हेतू उठाए गये आपतियों को सरकार को भेज दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त मझैरना के लिए पानी की स्कीम हेतू मुख्य अभियन्ता, जल शक्ति विभाग से मामला उठाया जाएगा ताकि इसे सुचारु रुप से दोवारा चलाया जा सके। बिनवा पुल के साथ हुए अवैध खनन हेतू खनन विभाग से रिपोर्ट लेकर दोषियों के विरुद्व कार्यवाही करने हेतू मामला आगे भेज दिया जाएगा। भूमि कटाव हेतू भूमि कटाव की जानकारी लेकर व उसके कारणो के लिए ग्रांम पंचायत से जानकारी ले कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि धानग में घराट पहले से चलते थे तो जन सहयोग योजना के तहत एक घराट को पुनविस्थापन के लिए कदम उठाए जाएगें। इसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है ताकि विकास कार्यों को किया जा सके।

		का मैटिरियल कौन से विभाग के निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें और यहां खनन नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारे गांव व भविष्य पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके।	
3.	श्री दौलतराम कपूर, लम्बरदार धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने निवेदन किया कि यहां से 50 मीटर के साथ हमारी भूमि लगती है और पहले यह 10 मीटर ज्यादा थी परन्तु पानी के बहाव के कारण हमारी जमीन कम हो गई है क्योंकि पानी की बहाव भी हमारी जमीन की तरफ हो गया है। अतः इस पर भी विचार किया जाए। खनन पटटे के लिए रोड़ भी हमारी जमीन में है। बरसात में बिनवा नदी के पानी के बहाव से हमारी जमीन को काफी नुकसान हो चुका है। अतः खनन पटटा देने से पहले इस पर पुर्नविचार किया जाए ताकि हमें और समस्त ग्रांम बासियों को इससे राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि बन विभाग द्वारा 20 से 30 बर्ष पहले यहां 100 से अधिक सफेदा के पौधे लगाए थे वह लगभग खत्म हो चुके हैं। ग्रंमवासी यहां पर अपने पशु चराते थे परन्तु अब इस खडड की हालत खराब हो चुकी है और खडड की दूसरी तरफ जाना भी मुश्किल हो चुका है। अध्यक्ष महादेया द्वारा दौलतराम कपूर से पूछा कि पानी के बहाव के कारण भूमि कटाव हो रहा है क्या यह हर बरसात में होता है। श्री दौलतराम कपूर द्वारा बताया गया कि पहले खडड का बहाव दूसरी तरफ था परन्तु सगूर क्षेत्र में अवैध खनन होने के कारण बहाव हमारी जमीन की तरफ हो गया है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि खनन पटटे की नीलामी खनन विभाग द्वारा इस जगह मैटिरियल ज्यादा होने के कारण किया जा रहा है। मैटिरियल ज्यादा होने के कारण पानी का स्तर उपर हो जाता है जिससे कटाव होता है। यदि खनन होगा तो पानी नीचे हो जाएगा और भूमि कटाव नहीं होगा। इस परियोजना में 05 से 10 बांध बनवाने का भी प्रावधान है अतः आप परियोजना मालिक के साथ सम्पर्क कर भूमि कटाव की जगह बांध बनवा सकते हैं। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि बर्ष 2016 से यहां पर किसी भी खनन पटटे को मंजूरी नहीं दी गई है और जो भी खनन हुआ वह अवैध रुप से हुआ है यदि खनन नियमानुसार होगा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा और उक्त खनन पटटा की जिम्मेदारी होगी। अध्यक्ष महादेया द्वारा खनन विभाग को उक्त खनन की रिपोर्ट देने हेतू निर्देश दिए गये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महादेया द्वारा आश्वशत किया गया कि पानी के बहाव के कारण हुए नुकसान हेतू मृदा संरक्षण विभाग, अपरदन विभाग से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर राहत प्रदान करने हेतू मामला आगे भेजा जाएगा। परन्तु उसके लिए आप नायव तहसीलदार बैजनाथ, राजस्ब विभाग से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सगूर क्षेत्र में अवैध खनन के सन्दर्भ में उठाए गये प्रश्न को दर्ज कर लिया गया है और उस मामले में एफआईआर करने की सिफारिश करेंगें।
4.	श्री महेन्द्र जसवाल, गांव धानग, तहसील बैजनाथ, जिला	उन्होंने बताया कि पहले शमशान घाट के लिए खडड के पानी का उपयोग किया जाता था परन्तु अब वहां पर खडड के	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि

	कांगड़ा हि0प्र0।	पानी का स्तर भी नीचे चला गया है	आपके सुझावों को दर्ज कर लिया है इसके अतिरिक्त उन्होंने उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में सुझाव, विचार एवं शिकायत व्यक्त करने हेतू आग्रह किया।
5.	श्री राजन कुमार, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि रेलवे पुल के नीचे का क्षेत्र जिसका खसरा न0: 161 और 162 में लगभग 1996–97 से खनन हो रहा है और सरकार भी उसे पटटे पर नहीं दे सकी है उसका कारण मेरे द्वारा सम्बन्धित विभागों से किया गया पत्राचार था। जब भी खनन लीज दी जाती है या अवैध खनन होता है तो स्थानीय लोगों को डराया जाता है । और उस समय कोई भी विभाग सहायता नहीं करता है। अतः मेरा निवेदन है इस मुददे को देखा जाए। मेरी लगभग 60 कनाल जमीन बैजनाथ बागन में है जिसमें 07 कनाल जमीन बह चुकी है और इसका कारण अवैध खनन है और किसी विभाग द्वारा इसमें कोई सहायता नहीं की जाती है। उसका सारा रिकार्ड भी मेरे पास है। इसमें विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं जाती है। मौके पर देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ है जब इसके विरुद्ध आपति दर्ज करवाई जाती है तो वह लड़ाई–झगड़ा करते हैं। सरकार द्वारा तो पटटे की नीलामी कर दी जाती है परन्तु लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। और जब इसकी लिखित में शिकायत की जाती है तब भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस बारे मेरे द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को लिखित में अवगत करवाया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।	अध्यक्ष महादेया द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा उठाए गये मददे इस प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित नहीं है उन्होंने प्रस्तावित परियोजना से अतिरिक्त मुददों के निपटान हेतू अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आकर चर्चा करने हेतू आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखित में आवेदन देने हेतु भी आग्रह किया ताकि उन पर कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।
6.	श्री विनोद कुमार स्पुत्र स्व0 श्री अमर नाथ, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि यहां पर सारी कुल्हों को पक्का किया जा रहा है उन्हें जरुरत के अनुसार ही पक्का किया जाए। कुल्हों के पक्के होने के कारण प्राकतिक जलस्रोत सूख रहे हैं। अतः इस मुददे को दर्ज किया जाए।	अध्यक्ष महादेया द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा उठाए गये मुददे को दर्ज कर लिया गया है।
7.	श्री दलीप जरियाल, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा यहां पर उपस्थित लोगों से पूछा जाए कि यह खनन कार्य यहां होना चाहिए या नहीं। उन्होंने बताया कि पिछले 05 बर्षों से यहां	अध्यक्ष महादेया द्वारा बताया गया कि आप अपने उठाए गये मुददों को पंचायत के माध्यम से हमारे पास जमा करें ताकि इसे जन–सुनवाई की कार्यवाही के साथ संलग्न कर भारत सरकार को भेजा जा सके।

		खनन विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया है जैसा कि बताया गया है। यहां पर पपरोला पुल भी रेलवे विभाग के कारण बचा हुआ है। अत्याधिक खनन के कारण कुल्हों का स्तर उपर हो गया है और अभी भी खनन हो रहा है। पिछले 05 बर्षों में खनन विभाग द्वारा कोई भी सुरक्षा बांध नहीं बनाए गये हैं। और इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।	
8.	श्री रोहित कुमार, प्रधान ग्रांम पंचायत निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि यह जन–सुनवाई प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ व नुकसान बारे है। और बर्तमान समय में नुकसान का कारण अबैध खनन है और लोगों की भूमि कटाव के कारण नुकसान हो रहा है जिसका कारण अवैध खनन है और यह खनन वैध तरीके से होती है तो उस स्थिति में होने वाले नुकसान के लिए सम्बन्धित विभाग में उक्त ठेकेदार के विरुद्ध आपति दर्ज करवा सकता है। इसके अतिरिक्त पानी के स्तर में होने वाली कमी भी अवैध खनन का नतीजा है और नियमों में होने वाले खनन की सीमा है। पानी की कमी के लिए चैक डैम की व्यस्था होना जरुरी है इससे भूमि कटाव में राहत मिलेगा। खनन जरुरी भी है क्योंकि खनन न होने होने कारण भी नुकसान होता है। अतः नियमों के तहत होने पर हर किसी की जिम्मेदारी तय है। इसके अतिरिक्त खनन कार्य से पंचायत को भी सहयोग होना चाहिए ताकि पंचायत के विकास कार्यों को किया जा सके।	अध्यक्ष महादेया द्वारा बताया गया कि इसमें जिला मिनरल फंड होता है। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुरोध किया कि वह चैक डेम के लिए प्रस्ताव बनाकर व अन्य पंचायत विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजना सुनिश्चित करें ताकि उस पर आगामी कार्यवाही की जा सके।
9.	श्री सागर सिंह, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने इसे खनन क्षेत्र के लिए उपयोग होने वाले सड़क के सन्दर्भ में कहा कि यहां केवल एक ही सड़क है और सभी द्वारा उसी का उपयोग किया जाता है। परन्तु जब यहां से खनन हेतू गाड़ियों को उपयोग होगा तो यहां के लोगों व स्कूली बच्चों को परेशान होगी।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि इसमें छोटे टिप्पर का ही उपयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया कि सड़क के समस्या हेतू मौके का निरीक्षण कर उसका समाधान किया जाएगा या अन्य किसी वैक्लिपिक मार्ग पर विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए गए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं,

उसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारीगण एवं गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जनसुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

शिल्पी बेक्टा (हि0प्र0से0)
अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी,
जिला कांगडा (हि.प्र.)